



# HAMIRPUR POLICE



थाना मौदहा/चिकासी/मझगवां/राठ/मौदहा

दिनांक 18.11.2022

## 08 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा/मौदहा के 08 गुण्डा अपराधियों को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी दे।

### जिला बदर किए गए अपराधियों का विवरण:-

- 1) बसंत कुमार पुत्र बलराम दुबे निवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दिनांक 29.10.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 2) पुष्पेंद्र सिंह पुत्र रामपाल राजपूत निवासी ग्राम बेंदा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को दिनांक 29.10.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 3) सूरज सिंह पुत्र रविंद्र सिंह निवासी ग्राम मलहेटा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दिनांक 29.10.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 4) सत्यभान सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम मलहेटा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दिनांक 29.10.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 5) प्रदीप कुमार पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दिनांक 29.10.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 6) राघवेंद्र राजपूत पुत्र बलवान निवासी ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दिनांक 31.10.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 7) अनिल राजपूत पुत्र रामपाल राजपूत निवासी ग्राम बिलरख थाना राठ जनपद हमीरपुर को दिनांक 31.10.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 8) रोहित राजपूत पुत्र कटोरी ऑफ दही निवासी ग्राम बिलरख जनपद हमीरपुर को दिनांक 31.10.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।